प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः–ए.सी.बी. चौकी कोटा थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....146/2022........ दिनांक....27.4.22

2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 ....धारायें –7
(2) अधिनियम– .... धारायें – ....
(3) अधिनियम..धारायें –..................
(4) अन्य अधिनियम धारायें..

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या........513............... समय..........5:50 pm
(ब) अपराध (सत्यापन) घटने का दिन......सोमवार.....दिनांक..21.03.2022...
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की ....दिनांक...21.03.2022......समय 09.45 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट

5. घटना स्थलः–
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब दक्षिण व 35 किलोमीटर
(ब) 'पताः– राजकीय चिकित्सालय बून्दी राजस्थान।
जरायम देही संख्या......................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – थाना कोतवाली, जिला बून्दी, राजस्थान

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री मो0 साबीर
(ब) पिता का नाम – श्री अ0शकूर
(स) जन्म तिथी/वर्ष........ उम्र 27 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या..जारी होने की तिथी...............
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय– नौकरी
(ल) पता– बाईपास संगम टाकिज के पास बून्दी राजस्थान

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
(1) डा0 दीनदयाल मीणा पुत्र श्री एच0एल0 मीणा उम्र 51 साल निवासी महावीर नगर दितीय कोटा हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ राजकीय चिकित्सालय बून्दी राजस्थान।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–............................ शून्य..

9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....3500/– रूपये...

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.03.2022 को समय 09.45 ए. एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चन्द्रशील कुमार को परिवादी श्री मो0 साबीर पुत्र अ0शकूर उम्र 27 साल जाति मुसलमान निवासी बाईपास संगम टाकिज के पास बून्दी राजस्थान ने लिखित शिकायत इस आशय की पेश की कि " मैं मो0 साबीर पुत्र अ0शकूर उम्र 27 साल जाति मुसलमान निवासी बाईपास संगम टाकिज के पास बून्दी राजस्थान का रहने वाला हूँ। दिनांक 08.03.2022 को मेरे पिता जी अ0शकूर को अकेला देखकर मेरे पडौसी साबिर व अन्य 8 व 10 लोगो ने तलवार, सरिये व चाकू से हमला कर दिया जिससे मेरे पिता जी के शरीर पर गंभीर चोटे आई जिस पर बून्दी के राजकीय चिकित्सालय से कोटा एम0बी0एस0 हास्पीटल मे रेफर कर दिया। उस दिन से ही मेरे पिता जी एम0बी0एस0 हास्पीटल कोटा मे भर्ती है। जिनके 3 ऑपरेशन हो चुके है। इस संबंध मे थाना कोतवाली बून्दी मे मुकदमा नम्बर 95/2022 दर्ज है। मेरे पिताजी की मेडिकल

रिपोर्ट बनाने के लिये राजकीय चिकित्सालय बून्दी के डा0 डी0डी0 मीणा से मिला तो उसने कहा कि मरीज को बून्दी लेकर आओ इस पर मैने कई बार उनसे निवेदन किया तो वो मुझे बार बार टालते रहै। इसी दौरान मैने कोतवाली थाना अधिकारी को भी एम0एल0सी0 रिपोर्ट के लिये निवेदन किया तो उन्होने मुझे डा0 डी0डी0 मीणा से मिलने के लिये कहा इसके बाद मैं डा0 डी0डी0 मीणा से फिर मिला तो उन्होने मुझे टाईम मिलने पर एम0बी0एस0 अस्पताल कोटा आने के लिये कहा। दिनांक 20.03.2022 को डा0 डी0डी0 मीणा एम0बी0एस0 अस्पताल कोटा आयें ओर उन्होन मुझे कहा कि तुम्हारे पिता जी की अच्छी एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार करानी है तो सेवा पानी करनी पढेगी तुम मुझसे कल दिनांक 21.03.2022 को तुम्होर पडौसी जाबिद हुसैन पुत्र रईस भाई को साथ लेकर राजकीय चिकित्सालय बून्दी आ जाना। मेरा खर्चा पानी भी लेकर आना। मैं मेरे जायज काम के डा0 डी0डी0 मीणा को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि डा0 डी0डी0 मीणा को रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी न तो उनसे कोई दुश्मनी है ना हि कोई उधार का लेनदेन बाकि है। कार्यवाही करने की कृपा करें। "

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मो0 साबीर द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं मजीद दरयाफ्त की प्रार्थना पत्र परिवादी ने अपने दोस्त हारून मोहम्मद पुत्र श्री कुतुबुदीन निवासी देवपुरा बून्दी द्वारा लिखित होना बताया। डा0 डी0डी0 मीणा बिना रूपये लिये एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार नही करते है। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद की। मजीद दरयाफ्त व पेश प्रार्थना पत्र से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाये जाने से परिवादी की शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।

समय 10.20 ए.एम. पर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों व मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत की मॉग का पाया गया है। इस पर परिवादी श्री मो0 साबीर का परिचय श्री भरत सिह कानि0 515 से करवाया गया तथा मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर, परिवादी को उसे चालू व बन्द करने की विधि समझाई तथा आरोपी डाक्टर डी0डी0 मीणा से अपने कार्य व रिश्वत राशि की मांग के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करने तथा होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करने की समझाईश कर डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया। इस पर परिवादी ने बताया कि डाक्टर डी0डी0 मीणा मुझसे रूपयो की बात नही करके मेरे पडौसी जाबिद हुसैन निवासी बून्दी से रूपयो की बात करेगा। मेरा पडौसी जाबिद हुसैन मुझे बून्दी मे मिल जायेगा जिसको मै साथ लेकर राजकीय चिकित्सालय बून्दी मे जाकर डाक्टर डी0डी0 मीणा से मिलूंगा। इस आरोपी डा0 डी0डी0 मीणा से अपने कार्य, रिश्वत राशि की मांग के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करने तथा होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करने की समझाईश कर परिवादी मो0 साबिर के साथ कार्यालय के श्री भरत सिह कानि0 515 को वास्ते निगरानी हेतु आरोपी के पास राजकीय चिकित्सालय बून्दी के लिये रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुदुर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मो0 साबीर, सहपरिवादी जाबिद हुसैन व श्री भरत सिह कानि0 515 के वापस कार्यालयहाजा आये ओर परिवादी श्री मो0 साबीर ने अपने पास से डिजीटल वाईस रिकार्डर पेश किया तथा बताया कि मैं व आपके कार्यालय के भरत सिह जी मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय बून्दी के पास पहुंचे थें। वहां जाकर मैने मेरे पडौसी जाबिद हुसैन से बात करी तो उसने घंटे भर मे राजकीय चिकित्सालय बून्दी पहुंचने के लिये कहा। इस पर मैं मेरे मित्र हारून के साथ राजकीय चिकित्सालय बून्दी के डा0 डी0डी0 मीणा के पास मेरे पिता जी एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार करने के संबंध मे वार्ता करने गया किन्तु डा0 डी0डी0 मीणा ने मुझसे व मेरे मित्र हारून से कोई बात नही की, हम वापस आ गयें। इसके बाद करीब 1.00 पी0एम0 पर मेरा पडौसी जाबिद हुसैन राजकीय चिकित्सालय बून्दी आया। डा0 डी0डी0 मीणा मेरे से बात नही करके जाबिद हुसैन से ही बात करेगा इसलिये मैंने डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके जाबिद हुसैन के पास रख

दिया था ओर हम दोनो राजकीय चिकित्सालय बून्दी मे अन्दर डा0 डी0डी0 मीणा के पास चले गये। आपके कार्यालय के भरत सिह जी राजकीय चिकित्सालय बून्दी के बाहर रूक गये थें। जाबिद हुसैन ने डा0 डी0डी0 मीणा से मेरे पिता जी एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार करने के संबंध मे वार्ता की तो डा0 डी0डी0 मीणा ने तुरंत रूपये देने के लिये कहा ओर फिर मुझे जाबिद हुसैन ने डा0 डी0डी0 मीणा के पास बुलाया ओर डा0 डी0डी0 मीणा ने मुझसे मेरे पिता जी शूकर की अच्छी एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार करने (प्राणघातक चोट लिखने) की एवज मे ढाई हजार रूपये बतौर रिश्वत ले लियें। इसके बाद मैने भरत सिह जी के पास आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद करके अपने पास सुरक्षित रख लिया था। करीब 03.00 बजे डा0 डी0डी0 मीणा के मोबाईल नम्बर 7014398664 मेरे पडौसी जाबिद हुसैन के मोबाईल नम्बर 9079269195 पर शराब की बोतल लेने के लिये कॉल आया। इस पर मैने दुबारा डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके डा0 डी0डी0 मीणा के पास जाबिद हुसैन को भेजा तो डाक्टर डी0डी0 मीणा ने शराब की दुकान से ब्लेण्डर नाम की शराब की बोतल लेने के लिये कहा तथा फिर कहा कि मुझे ही रूपये दे दे मै ही ब्लेण्डर की शराब की बोतल ले लूंगा। इस पर डाक्टर डी0 डी0 मीणा ने मेरे दोस्त जाबिद हुसैन से एक हजार रूपये की मांग की तथा एक हजार रूपये ले लिये। इसके बाद डा0 डी0डी0 मीणा कोटा निकल गयें। डा0 डी0डी0 मीणा एम0एल0सी0 तैयार करने के बाद हमसे ओर रूपयो की मांग कर सकते है। हमारे बीच हुई दोनो वार्ताऐं सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गयी है। परिवादी द्वारा बाद रिश्वत मांग सत्यापन पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त करके रिकार्डर मे रिकार्ड दोनो वार्ताओं को सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्ठि हुई। सहपरिवादी जाबिद हुसैन व श्री भरत सिह कानि0 ने भी परिवादी के कथनो की ताईद की। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री मो0 साबिर, सहपरिवादी श्री जाबिद हुसैन को आरोपी डा0 डी0डी0 मीणा का कॉल आने व रूपयो की मांग करने पर तुरंत कार्यालय मे उपस्थित आने व गोपनीयता की हिदायत कर रूकसत किया गया।

दिनांक 31.03.2022 को समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मो0 साबिर मय लिखित प्रार्थना पत्र व अपने पडौसी मित्र जाबिद हुसैन के कार्यालय हाजा उपस्थित आया ओर बताया कि डा0 डी0डी0 मीणा ने मेरे पिता जी की एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार कर थाना कोतवाली बून्दी भिजवा दी है। मुझे लगता है कि डाक्टर डी0डी0 मीणा अब मुझसे ओर रूपये नही लेगें।

इस पर ट्रैप कार्यवाही की सम्भावना नही होने से श्री भरत सिह कानि0 515 को एक तहरीर कार्यालय उप वन सरंक्षक कोटा के नाम देकर दो स्वतंत्र गवाह तलब करने हेतु रवाना किया। कुछ समय बाद श्री भरत सिह कानि0 515 कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा से दो गवाह श्री कैलाश सुमन पुत्र स्व0 मदनलाल माली जाति माली उम्र 23 साल निवासी रामद्वारा के पास चेचट राजस्थान हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा मो0न0 9694864702 व श्री महावीर गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर उम्र 32 साल निवासी बसेडा मोहल्ला (आल्ड ब्लॉक स्कूल के पास) झालावाड राजस्थान हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा मो0न0 9887274303 के उपस्थित आया। परिवादी श्री मो0 साबीर व सहपरिवादी श्री जाबिद हुसैन का परिचय दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया ओर परिवादी का पेश प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढवाकर बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गयी जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी सहमति देकर परिवाद के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर कियें।

समय 03.20 पी.एम. पर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे दिनांक 21.03.2022 की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता प्रथम को डिजीटल वाईस रिकार्डर को लेपटॉप मे लगाकर स्पीकर चालू कर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मो0 साबीर व सहपरिवादी श्री जाबिद हुसैन को सुनाया गया। परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकार्डर की वार्ता में एक आवाज अपनी, एक आवाज सहपरिवादी की व एक आवाज आरोपी डाक्टर डी0डी0 मीणा की होना बताया। कार्यालय के लेपटॉप में सेव उक्त वार्ता को दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, सहपरिवादी की उपस्थिति मे लेपटॉप के स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसकिप्ट श्री भरत सिह कानि0 515 से तैयार करवायी गयी।

समय 05.30 पी.एम. पर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे दिनांक 21.03.2022 की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता दितीय को डिजीटल वाईस रिकार्डर को लेपटॉप मे लगाकर स्पीकर चालू कर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मो0 साबीर, सहपरिवादी श्री जाबिद हुसैन को सुनाया गया। सहपरिवादी श्री जाबिद हुसैन ने डिजीटल वाईस रिकार्डर की वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी डा0 डी0डी0 मीणा की होना बताया। कार्यालय के लेपटॉप में सेव उक्त वार्ता को दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, सहपरिवादी की उपस्थिति मे लेपटॉप के स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री भरत सिह कानि0 515 से तैयार करवायी गयी, जिसे सम्बन्धितों को पढकर सुनाये जाने पर सम्बन्धितो ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।

समय 05.45 पी.एम. पर परिवादी मो0 साबीर, सहपरिवादी श्री जाबिद हुसैन व दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताऐं जो परिवादी मो0 साबीर, सहपरिवादी श्री जाबिद हुसैन व आरोपी डा0 डी0डी0 मीणा मध्य दिनांक 21.03.2022 को हुई थी उक्त दोनो वार्ताओ को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया था। उक्त वार्ताओं को डिजीटल वाईस रिकार्डर से लेपटॉप मे लिवाया जाकर, लेपटोप के जरिये सी0डी0 मे डब्ड करवाकर वार्ता की चार सी0डी0 कानि. श्री भरत सिह कानि0 515 के द्वारा तैयार करवाई गई। जिसमे से एक सी0डी0 माननीय न्यायालय के लिये, एक सी0डी0 नमूना आवाज के लिये व एक सी0डी आरोपी के लिये पृथक पृथक कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर की गई एंव एक सी0डी0 अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे में रखाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त सी0डी0 मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवायी गयी। तत्पश्चात् परिवादी मो0 साबीर, सहपरिवादी श्री जाबिद हुसैन व स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश सुमन, श्री महावीर गुर्जर को कार्यवाही पूर्ण होने पर रूकसत किया गया।

प्रकरण के समस्त हालात इस प्रकार है कि परिवादी श्री मो0 साबीर के कथनानुसार आरोपी श्री डा0 डी0डी0 मीणा राजकीय चिकित्सालय बून्दी ने एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार करने के ढाई हजार रूपये व शराब की बोतल के एक हजार रूपये प्राप्त कर लिये है अब उनको किसी प्रकार का शक होने के कारण अब वो हमसे कोई रिश्वत राशि नही मांग रहे है तथा एम0एल0सी0 रिपोर्ट भी तैयार करके उन्होने थाना कोतवाली बून्दी मे भेज दी है। फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ से पाया गया है कि – दिनांक 21.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम मे श्री डा0 डी0डी0 मीणा राजकीय चिकित्सालय बून्दी द्वारा परिवादी श्री मो0 साबीर से उसके पिता जी की एम0एल0सी0 रिपोर्ट अच्छी तैयार करने (प्राणघातक चोट लिखने) की एवज मे ढाई हजार रूपये प्राप्त कर लिये है तथा दिनांक 21.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दितीय मे डा0 डी0डी0 मीणा राजकीय चिकित्सालय बून्दी द्वारा सहपरिवादी जाबिद हुसैन से ब्लेण्डर शराब की बोतल लेने के लिये एक हजार रूपये बतौर रिश्वत लिये है। आरोपी डा0 दीनदयाल मीणा पुत्र श्री एच0एल0 मीणा उम्र 51 साल निवासी महावीर नगर दितीय कोटा हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ राजकीय चिकित्सालय बून्दी राजस्थान का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाया गया है।

अतः आरोपी डा0 दीनदयाल मीणा पुत्र श्री एच0एल0 मीणा उम्र 51 साल निवासी महावीर नगर दितीय कोटा हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ राजकीय चिकित्सालय बून्दी राजस्थान का जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 का प्रमाणित पाए जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(ठाकुर चन्द्रशील कुमार)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ठाकुर चन्द्रशील कुमार, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ0 दीनदयाल मीणा, हाल वरिष्ठ विशेषज्ञ राजकीय चिकित्सालय बून्दी राजस्थान के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 146/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 1284-88 दिनांक 27.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक(एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाऐ राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर